

152/2019

हमारे द्वारा अकील हाथी की एक फ्लोप वरम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है कि माननीय उपायुक्त राजस्व महल राजपूर द्वारा दि 13/04/23 को मूल का. 164/2013 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्राप्त किये गये हैं। निम्नलिखित पत्रिका में मूल का. को पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है।

अतः अकील हाथी द्वारा पेशा प्राप्त आदेश का. 164/2013 को पुनः नम्बर पर लिया जाने आबाद पोखरीय नहीं होने के कारण धारिज किया जाता है।

अतः पत्रावली वाले एवं आदेशकृत पत्रावली 1, 2, 5, 9 व 11 को Reg. No. के ताली हेतु तालिका पेश करे करने हेतु दि. 10/01/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

10/01/24

पत्रावली पेश हुई अकील हाथी उपायुक्त मूल का. 164/2013 को पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है। अतः उपर्युक्त अन्तिम आदेश 09/24 अपील द्वारा 10/01/24 को कोई विधिक मोर्चा नहीं होने के कारण उपर्युक्त का. को इन्हीं दस्त पर धारिज किया जाता है।

पत्रावली में जमा शुभकर हेतु पत्रावली नम्बर के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

